हकियत वाद सं0–352 / 2016

न्यायालय –अवर न्यायाधीश, सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0–352 / 2016.

मँझरिया देवी एवं अन्य

बनाम्

शिवनाथ मंडल एवं अन्य

19.02.2020 <u>आदेश</u>

उभयपक्ष की ओर से हाजरी हैं। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक–05.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण का आवेदन में कथन है कि वादी सं0–1 मंटु राय दिनांक–07.12.2017 को 11 पेज में एक 41 दफाओं में अपना साक्ष्य बतौर शपथ पत्र दाखिल किए है। मगर प्रतिवादीगण के तरफ से उनका प्रतिपरीक्षण नाममत्र का ही हुआ हैं। फलस्वरूप निर्णय से पूर्व विवादित तथ्य पर सच्चाई ज्ञात करने हेतु वादी सं0–2 बतौर साक्षी सं0–1 का प्रतिपरीक्षण आवश्यक हैं। अतः निवेदन है कि वादी साक्षी सं0–1 मंटू राय को प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल किया जाए।

वादीगण की ओर से दिनांक––19.12.2019 को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युतर दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादीगण का रिकॉल आवेदन खारिज होने योग्य है। आवेदन दाखिल करने का कोई उचित कारण प्राप्त नहीं हैं। वाद के फैसला को टालने के नियत से प्रतिवादीगण ने गलत एवं झूठे ब्यान के साथ प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया हें। वादी साक्षी सं0–1 मंटू राय का प्रतिवादी पूर्ण प्रतिपरीक्षण कर चुके हैं। प्रतिवादीगण का कथन गलत है कि प्रतिपरीक्षण नामात्र का हुआ हें। अतः पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु वादी सं0–1 मंटू राय को रिकॉल किया जाना न्यायोचित नही होगा और नैसरगिक न्याय के विरूद्ध होगा। चूकि इस वाद में प्रतिवादी का साक्ष्य चल रहा हैं। अतः आवेदन पर विचार कर आदेश पारित करने का उचित समय हैं। प्रतिवादी का साक्ष्य बंद करने के बाद है और होगा। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक–05.12. 2019 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को विगत तिथी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से

हकियत वाद सं0–352/2016

विदित होता है कि वादी साक्षी सं–01 मंटू राय का शपथ पत्र दिनांक–07.12.2017 को दाखिल किया गया था और उनका आंशिक प्रतिपरीक्षण प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तिथी को की गयी । पुनः दिनांक–19.01.2018 को वादी साक्षी सं0–01 मंटू राय पूर्ण प्रतिपरीक्षण प्रतिवादीगण के द्वारा किए जाने के पश्चात साक्षी को उन्मुक्त किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक–05.02.2018 को भी प्रतिवादीगण की ओर से वादी साक्षी सं0–1 को प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय ने आवेदन को स्वीकृत कर उन्हें प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया था। फरस्वरूप दिनांक–06.07.2018 को वादी साक्षी सं0–01 मंटू राय मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किया गया था। ऐसी परिस्थिति में पुनः वादी साक्षी सं0–01 मंटू राय को प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में यह वाद प्रतिवादी की ओर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नियत चला आ रहा हैं। अतः प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक–05.12.2019 को खारिज किया जाता हैं।

वाद दिनांक– 28/02/2020 को प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश,
सोनपुर